<u>न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू</u>

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान

आई.ए.एस.

अपील संख्या 181/2020

बजरंगलाल पुत्र सुरजाराम, जाति जाट निवासी दोरादास, तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

1. मूलाराम पुत्र हरफूल, जाति जाट, निवासी दोरादास, तहसील व जिला झुंझुनूं।
2. मुगांराम पुत्र सुरजाराम, जाति जाट निवासी दोरादास, तहसील व जिला झुंझुनू।
3. हरफुल पुत्र सुरजाराम, जाति जाट निवासी दोरादास, तहसील व जिला झुंझुनू।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील बखिलाफ आदेश तहसीलदार, झुंझुनूं आदेश दिनांक 11.08.2020 कमांक 1370 व आदेश दिनांक 13.08.2020 कमांक राजस्व/2020/1185–1188

––

उपस्थित :–

1. श्री कंचनसिंह चौधरी, एडवोकेट, अपीलांट की ओर से
2. श्री शिनारायणसिंह, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 की ओर से
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से

<u>आदेश</u>

दिनांक 12.04.2021

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं के आदेश आदेश दिनांक 11.08.2020 कमांक 1370 व आदेश दिनांक 13.08.2020 कमांक राजस्व/2020/1185–1188 के विरूद्व मय प्रा0प0 दफा [illegible] के प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में अपील अपीलान्ट के अनुसार दिनांक 10.08.2020 को तहसीलदार झुंझुनूं रेस्पोडेन्ट सं0 4 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि कटान का रास्ता खुलवाने बाबत [illegible]/322 का [illegible] बजरंगलाल अपीलान्ट द्वारा रास्ता बंद कर दिया है जबकि उ[illegible] रास[illegible] कटानशुदा रास्ता [illegible] जिस पर तहसीलदार झुंझुनूं द्वारा मूल आवेदन पत्र [illegible] तथ्यों की [illegible] शीघ्र नियमानुसार रास्ता खुलवाया जावे। परन्तु [illegible] मे गिरदावर हल्का ने न तो कोई जांच की है और न ही अपीलान्ट को सुना और रेस्पोडे[illegible]ं0 1 लगायत 3 के [illegible] मनमर्जी से बिना किसी आदेश के गलत रिपोर्ट तैयार कर अपीलान्ट को बिना सुने

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested

बताते ही पुलिस जाप्ता के साथ दिनांक 14.08.2020 को जबरन रास्ता खुलवाया गया। जबकि अनुसार अपीलान्ट को पूछा जाना व बताया जाना तथा सुना जाना उचित व न्यायोचित था। परन्तु इन तथ्यों पर गौर किए बिना ही गलत रूप से रास्ता कायम किया गया है। अदालत मातहत का आदेश दिनांक 11.08.2020 व दिनांक 13.08.2020 खिलाफ कानून व पत्रावली है। अदालत मातहत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि दिनांक 11.08.2020 को तो प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट नं0 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह किस आधार पर प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड मे रेस्पोडेन्ट नं0 1 के नाम कोई भूमि नही है। इस तथ्य पर बिना जांच किए ही बिना रिकार्डेड खातेदार को सुने ही अदालत मातहत ने गिरदावर व पटवार हल्का की बात पर विश्वास कर रास्ता खुलवाने का आदेश पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के विरूद्व मनमर्जी से अवैध आदेश पारित कर दिया तथा उक्त आदेश की पालना मे कोई रास्ता न होते हुए भी अपीलान्ट के मकानों के आगे से रास्ता कायम कर दिया जिसके बाबत अपीलान्ल्ट को कोई नोटिस भी नही दिया गया है और न ही सुना गया। बिना सुनवाई का मौका दिये पारित किया गया आदेश न्याय के प्राकृतिक सिद्वान्त के विरूद्ध है। अदालत मातहत ने गिरदावर व पटवार हल्का की बिना राजस्व रिकार्ड की स्थिति देखे गिरदावर व पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के मकानात के आगे बने हुए गाय, पशु के लिए बनाये गये टीनशेड व हरे वृक्ष व इमारती पत्थरों को जेसीबी से उखाडकर फेक दिया। इन सभी तथ्यों से स्पष्ट है कि अदालत मातहत व उसके मातहत अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा कानून की पालना किय वगैर ही मनमर्जी से जबरदस्ती रास्ता कायत किया है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 11.08.2020 व 13.08.2020 को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावृत्ति की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट बजरंग के फर्जी हस्ताक्षर कर राजस्व कैम्प में खाता विभाजन करवाया गया है और उसकी पालना मे नामान्तरकरण भरा गया है। फर्जी हस्ताक्षरों के क्रम मे अपीलान्ट द्वारा एफ0एस0एल जांच भी करवाई गई है और एफ0आई0आर0 भी दर्ज करवाई गई है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि मे कोई रास्ता नही है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 11.08.2020 व 13.08.2020 को निरस्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 3 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि दिनांक 07.06.2018 को अनुबन्ध पेश कर खाता विभाजन करवाया गया है और उसकी पालना मे नामान्तरकरण भरा गया है। अपीलान्ट द्वारा दर्ज करवाई गई एफ0आई0आर0 मे एफआर लग चुकी है। सहमति से खाता विभाजन हुआ है। अतः फर्जी हस्ताक्षर नही माने जा सकते। अपील अन्दर मियाद भी नही है। बहस के दौरान वकील रेस्पोडेन्ट ने नजीर ए0आई0आर0 1986 सुप्रीम कोर्ट पेज सं0 2276 व ए0आई0आर0 1999 राज0 उच्च न्यायालय पेज सं0 216 पेश की गई। अपील अपीलान्ट सारहीन है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट के तर्कों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट द्वारा [illegible] की गई है वह आदेश की तारीख मे ही नही आता है और न ही अपील अन्दर मियाद है। अतः अपीलान्ट की अपील मियाद एवं सारहीन है जो खारीज योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट [illegible]रीज फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14.08.2020 को ग्राम दोरादास स्थित भूमि खसरा नम्बर 488/322 रकबा 0.04 हैक्टर चाही जो खाता विभाजन में सहमति से रास्ते के लिए रखी गई थी, पर से अतिक्रमण हटाकर अवरूद्ध रास्ते को खुलवाया गया है। प्रकरण के अहम तथ्य इस प्रकार से है यथा –

1. प्रकरण में ग्राम दोरासर स्थित भूमि खसरा नम्बर 321 व 322 का खातेदार बजरंगलाल, मुंगाराम व हरफूल पुत्रगण सुरजाराम जाति जाट द्वारा दिनांक 07.06.2018 को न्याय आपके द्वार वर्ष 2018 कैम्प में आपसी सहमती से उक्त भूमि का बंटवारा कर लिया था। उक्त बंटवारे में भूमि खसरा नम्बर 488/322 रकबा 0.04 हैक्टर को रास्ते के उपयोग हेतु रखा गया था। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 14.08.2020 को अवरूद्ध रास्ते को खोला गया है तथा पक्षकारान का बंटवारा दिनांक 07.06.2018 को चुका था। इससे साफ है कि बंटवारे के बाद से मौके पर खातेदार उक्त रास्ते की भूमि से आना – जाना कर रहे थे। यह तथ्य निर्विवाद है अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा अवरूद्ध रास्ते को खोलने की कार्यवाही की जानकारी उसी रोज से रही है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नजीर के अनुसार " Appeal-Delay-condonation-Delay condoned without recording satisfaction of reasonable or satisfactory explanation for inordinate delay- No such explanation offered by state – condonation of delay not proper and judicious- order cannot be sustained. " यद्यपि उक्त नजीर प्रकरण पर चस्पा होती है, परन्तु न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण तकनीकि बिन्दु के आधार के बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित होता है।
2. अपीलान्ट द्वारा सहमती से रखे गये रास्ते से अतिक्रमण हटाने की कि गई कार्यवाही फर्द मौका दिनांक 14.08.2020 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है। उक्त फर्द में साफ अंकन है कि मौके पर खसरा नम्बर 488/322 रकबा 0.04 हैक्टर जो खाता विभाजन में रास्ते के लिए छोड़ी गई थी व रास्ते के रूप में काम आ रही थी। जिसको अवरूद्ध किया गया है। रास्त की भूमि पर अनावश्यक रूप से बाधा कारित कर उसे अवरूद्ध करना विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत द्वारा मौके पर रास्ते में किये गये अवरोध को हटाया है, जो नियमानुसार की गई कार्यवाही है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।
3. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर झुन्झुनूं
12/04/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.04.23 16:36:38 IST
Reason: SelfAttested